



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार-40 बंगाल एवं बिहार-उत्तर प्रदेश के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति हेतु दिनांक-20.06.2016 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक-15.07.2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आयोजित है ।

दिनांक 20.06.2016 तक प्राप्त सभी आवेदनों की समय सारणी का प्रकाशन दिनांक 01.07.2016 तक परिवहन विभाग के वेबसाइट <http://transport.bih.nic.in> पर कर दिया जाएगा । यदि किसी वाहन स्वामी को समय सारणी पर आपत्ति हो तो वे अपनी लिखित आपत्ति नैसर्गिक न्याय के तहत शपथ पत्र एवं साक्ष्य के साथ दिनांक-07.07.2016 के अपराह्न 4.00 बजे तक परिवहन विभाग के सिंगल विन्डों (एकल खिड़की) काउन्टर पर निश्चित रूप से समर्पित करेंगे । उपर्युक्त निर्धारित शर्तों के विपरीत प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी भी आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्राधिकार की बैठक में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।